09.09.2023

आज दिनांक 09.09.2023 को नेशनल लोक अदालत होने के कारण प्रकरण सुनवाई में लिया गया।

राज्य द्वारा एडीपीओ अनु.।
आरोपीगण सहित श्री पिताम्बर राठौर अधि. उप.।

प्रकरण आदेश हेतु नियत है।

अभिलेख का अवलोकन किया गया। आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अंतर्गत धारा 294, 506, 323, 34 भादसं. के तहत पंजीबद्ध है। प्रार्थी द्वारा आरोपी से राजीनामा कर लिया गया है जिसके संबंध में पक्षकारों द्वारा पूर्व तिथि पर राजीनामा आवेदन पेश किया गया है तथा प्रकरण में प्रार्थी का राजीनामा बयान दिनांक 07.09.2023 को लेखबद्ध कर लिया गया है। अतः राजीनामा के आधार पर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है तथा आरोपी को धारा 294, 506, 323, 34 भादसं. के अपराध से **उन्मुक्त** किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

आरोपी के जमानत मुचलके यदि कोई हो तो उसे भार मुक्त किया जाता है।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त ।

अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में यह अभिलेख अभिलेखागार प्रेषित हो।

सही / –
(मंजूषा टोप्पो)
पीठासीन अधिकारी
खण्डपीठ क्रमांक – 22
खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.)